

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.)

रा.अपील क.....अ/2015

निं. 13685-I-15

1. श्रीमति सरोजरानी पति राजेश जैन उम्र 55 वर्ष
2. राजेश सिंघई पिता मदनलाल जैन उम्र 58 वर्ष
3. रोमिल सिंघई पिता राजेश जैन उम्र 25 वर्ष

तीनों निवासी बाजार वार्ड पाटन, तह. पाटन,

जिला जबलपुर

..... अपीलार्थीगण/आवेदकगण

// बनाम //

रानू उर्फ वैभव वल्द धन्य कुमार जैन उम्र 40 वर्ष
साकिन बाजार वार्ड पाटन, तह. पाटन,
जिला जबलपुर

..... गैरअपीलार्थी/अनावेद

रिवीजन अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता

आवेदकगण/अपीलार्थीगण, निम्न न्यायालय
तहसीलदार महोदय, पाटन द्वारा रा. प्र. क. 138अ6/13-14 वैभव
विरुद्ध सरोजरानी बगैरह में पारित आदेश दिनांक 20.08.2015
से क्षुब्ध एवं दुखित होकर निम्न लिखित तथ्य एवं आधारों पर
रिवीजन प्रस्तुत करते हैं:-


रिवीजन के तथ्य

1. यह कि स्व.मदन लाल के पुत्र धन्य कुमार एवं राजेश सिंघई, राकेश सिंघई है।
2. यह कि सिंघई राजेश जैन की पत्नी सरोजरानी है तथा रोमिल सिंघई, राजेश जैन के पुत्र है।
3. यह कि स्व.सिंघई मदन लाल मृत्यु के पूर्व राजेश सिंघई के साथ रहते थे तथा उनके द्वारा एक वसीयतनामा दिनांक 12.11.1997 को रोमिल सिंघई एवं सरोजरानी के पक्ष में निष्पादित किया है।
4. यह कि उक्त वसीयत के आधार पर रोमिल सिंघई

श्री अशोक
2/52
OCT 2015

8

निम्न. गण
10/10/15
19/10/15



23.12.17

१. १००० रु. का चेक
 २. २००० रु. का चेक
 ३. ३००० रु. का चेक
 ४. ४००० रु. का चेक
 ५. ५००० रु. का चेक
 ६. ६००० रु. का चेक
 ७. ७००० रु. का चेक
 ८. ८००० रु. का चेक
 ९. ९००० रु. का चेक
 १०. १०००० रु. का चेक

Noted r
23/12/17

L

[क. प. उ.]